

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 140/2020 बउनवानी ककरोड केरना निवासी राजेश बनाम  
राजेश

2. श्री तौफिक मोहम्मद पैरोकार राजस्व

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | ता. अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुआ |
|---------------------------------|---|

23/08/2022 प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान 2022 के तहत सुलह समझौते की भावना से निस्तारण योग्य होने के कारण चिह्नित किये जाने के कारण यह प्रकरण आज न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। अपीलान्त वकील, पैरोकार सरकार सरकार राजस्व एवं राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 के अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित है। सुलह समझौते के तहत दौराने सुनवायी वकील अपीलान्त ने कथन किया है कि अदालत मातहत द्वारा मिसल संख्या 330/20 में ग्राम काटडा विरामपुर तहसील राजकोट की आराजी खसरा नम्बर 62/1 रकबा 0.016 किस्म कजरा की भूमि में सम्वत 2077 में काटडा की फसल काशत करना अंकित करते हुए अतिकर्मी माना है एवं दिनांक 25-9-2020 को आदेश जैर अपील पारित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ अतिक्रमी मानकर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। किन्तु अपीलान्त वकील द्वारा विवादित अतिक्रमित भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में पुनः अतिक्रमण न करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर आदेश जैर अपील से अपीलान्त को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ करने बाबत निवेदन किया है, इस सम्बन्ध में पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया है कि अपीलान्त द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न है जिससे साबित होता है कि अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिचारी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्त की अपील खारिज की जावे।

उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपीलान्त ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया था जिसको खाली करने बावत् व भविष्य में पुनः अतिक्रमण न करने का कथन किया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अतिक्रमित भूमि से कब्जा हटाने की शर्त पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-09-2020 में बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्त को दिये गये 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाकर सजा माफ की जाती है।

रजिस्टर्ड  
प्रति निर्णय मय पत्रावली संख्या 330/20  
तारीख निर्णय 15-9-2020 तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
को भेजी।  
क्रमांक 477 दिनांक 13-3-20

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.